

**म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड,**  
**भोपाल-462011**  
**(सुपर - 100 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2024)**  
**प्रेक्षकों (आज्ञावर) के लिए निर्देश**

नोट :- जिला शिक्षा अधिकारी जिले के नोडल अधिकारी होगे।

(1) नोडल अधिकारी द्वारा प्रेक्षक की नियुक्ति :-

जिला स्तरीय सुपर-100में प्रवेश चयन परीक्षा के प्रेक्षक की नियुक्ति नोडल अधिकारी करेंगे।

(2) प्रेक्षक का दायित्व :-

प्रेक्षक कार्य के लिये स्वीकृति देने के पूर्व प्रेक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि उनका कोई निकट संबंधी, पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति/पत्नी के भाई/बहन किसी भी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति हो तो वे प्रेक्षक का कार्य स्वीकार न करें। प्रेक्षक परीक्षा के संचालन में बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निवर्हन करेंगे।

03. परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से संपर्क करेंगे।

04. परीक्षा की समय सारणी तथा विषयवार परीक्षार्थियों की संख्या अनुसार परीक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

05 परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम एक दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र में जाकर यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा संचालन की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है।

06. परीक्षा केन्द्र की बैठक व्यवस्था का भी अवलोकन करें तथा सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों के बीच निर्धारित दूरी ठीक रखी गई है। तथा परीक्षार्थियों को पेपर के सेट इस प्रकार वितरित होंगे ताकि आगे पीछे या अगल बगल में समान सेट न मिले।

07. परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व प्रेक्षक केन्द्र अधीक्षक से चर्चा कर उनको गोपनीय सामग्री वितरण एवं परीक्षा उपरांत एकत्रित करने के क्रम एवं समय का विवरण समझायें।

08. प्रेक्षक को प्रत्येक परीक्षा सत्र प्रारंभ होने के कम से कम 1 घंटा पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में अनिवार्य रूप से पहुंच कर परीक्षा केन्द्र की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो निराकृत कराना होगा।

# म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल

शिवाजी नगर, भोपाल -462011

(सुपर 100 प्रवेश चयन परीक्षा 2024)

## केन्द्र अधीक्षक के कर्तव्य

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आपके केन्द्र के लिए नामित ऐसे वीक्षकों को जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन करते हैं को ही परीक्षण कार्य में लगाया जावे।

- (1) केन्द्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा में उसके पुत्र, पुत्री आदि निकट संबंधी नहीं बैठ रहे हैं। वह इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (2)
  - (2.1) परीक्षा केन्द्र पर शांति एवं सुरक्षा हेतु जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर समुचित पुलिस गार्ड की व्यवस्था करेंगे।
  - (2.2) वीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक निर्देशों की जानकारी देंगे।
  - (2.3) इस वर्ष से आधार क्रमांक की प्रविष्टि अनिवार्य है। इससे वीक्षकों को अवगत करायें।
- (3)
  - (3.1) दिनांक 07.07.2024 को परीक्षा प्रथम पाली में प्रातः 10:30 बजे से 01:00 बजे तक होगी। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 5:00 बजे तक होगी।
  - (3.2) दिनांक 08.07.2024 को परीक्षा प्रथम पाली में प्रातः 10:30 बजे से 1:00 बजे तक होगी।
  - (3.3) वीक्षकों को निर्देशित करें कि वे एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँच जायें।
  - (3.4) प्रथम पाली के परीक्षार्थी अपनी-अपनी सीट पर परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम आधा घंटा पूर्व अर्थात प्रातः 10:00 बजे तक निर्धारित कक्ष में बैठ जायें। द्वितीय पाली के परीक्षार्थी दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित कक्ष में बैठ जायें। सभी समूह की परीक्षा में प्रथम 5 मिनिट में वीक्षक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी के फोटो की जाँच करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बगैर फोटो वाले प्रवेश पत्र लिए परीक्षार्थी को परीक्षा में न बैठने देवें।
  - (3.5) उक्त के पश्चात् ओ.एम.आर. शीट में परीक्षार्थी द्वारा आवश्यक जानकारी की पूर्ति काले वाले पेन (लीड) से कर, गोलों को काला किया जाना है। इसके पश्चात् प्रश्न पुस्तिकाओं को खोलकर निम्नलिखित जाँच करेंगे :-
    - (1) प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर जितने प्रश्नों की संख्या छपी है उतने ही प्रश्न अंदर भी हैं।
    - (2) प्रश्न पुस्तिकाओं के सभी पृष्ठों में छपाई स्पष्ट है, कोई पन्ना फटा हुआ नहीं है या कोई पन्ना बाइंड ही नहीं किया हो या, कोई पृष्ठ दो बार बाइंड हो गया है इत्यादि।
 वीक्षक को परीक्षार्थी को स्पष्ट करना है कि वे अपनी-अपनी प्रश्न पुस्तिकाओं की उपरोक्तानुसार अच्छी तरह जाँच कर लें एवं त्रुटि पाये जाने पर सही प्रश्न पुस्तिका से बदल ले अन्यथा उसके बाद न तो कोई प्रश्न पुस्तिका बदली जावेगी न ही इसके लिए कोई अतिरिक्त समय दिया जावेगा। यह जिम्मेदारी परीक्षार्थी की ही होगी। इसके बाद परीक्षार्थी को वीक्षक निर्देशित करेंगे कि अब वे अपनी-अपनी प्रश्नपुस्तिकाओं के क्रमांक एवं अपनी ओ.एम.आर.शीट में बाक्सों को काले पेन (लीड) से भरें एवं संबंधित गोलों को काला करें, साथ ही प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अन्य प्रविष्टियों के अलावा अपनी ओ.एम.आर.शीट का क्रमांक भी निर्धारित बाक्सों में लिखें। इसी दौरान परीक्षार्थीयों को ओ.एम.आर.शीट पर उत्तर अंकित प्रारंभ करने की अनुमति देते हुए परीक्षार्थी को स्पष्ट करेंगे कि प्रश्न पत्र 100 मर्टीपल चॉइस प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इनके उत्तर उपलब्ध कराई गई ओ.एम.आर.शीट में गोले भरकर दिए जाने हैं।
  - (3.6) प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है।
  - (3.7) प्रश्न पत्र हल करने का कुल समय छाई घंटे (150 मिनिट) रहेगा।
  - (3.8) परीक्षार्थी, रफ कार्य के अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। वे प्रश्न पत्र या ओ.एम.आर. शीट पर कहीं भी नाम नहीं लिखेंगे। परीक्षार्थी द्वारा रफ कार्य हेतु प्रश्न पत्र के अंत में छोड़े गए सादे पृष्ठ का उपयोग किया जा सकता है।

- (4) केन्द्र अधीक्षक अपने केन्द्र के लिये अपनी संस्था से सहायक केन्द्र अधीक्षक, लिपिक एवं आवश्यकतानुसार भूत्य की सेवाएँ लेंगे। ये सभी व्यक्ति परीक्षा संचालन में केन्द्र अधीक्षक की सहायता करेंगे।
- (5) किसी भी स्थिति में लिपिकीय वर्ग/प्रयोगशाला का स्टाफ/तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ वीक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाये।
- प्रत्येक 20 परीक्षार्थियों के लिए एक वीक्षक नियुक्त किया जाये तथा एक कक्ष में कम से कम दो वीक्षक नियुक्त किये जायें। जहाँ तक संभव हो केवल ऐसे कक्षों का चयन किया जाये जहाँ दो वीक्षकों की नियुक्ति व्यायसंगत हो (अर्थात् 30 की क्षमता से कम वाले कक्ष, जहाँ तक संभव हो न लिये जायें) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को ही वीक्षक के रूप में नियुक्त किया जावे।
- (6) (1) केन्द्र अधीक्षक परीक्षा के विभिन्न भेजे गये सील बंद लिफाफों को प्रेक्षकों (Observers) की उपस्थिति में ही खोलें।  
(2) परीक्षार्थी की सीट पर जाकर, परीक्षार्थियों को वितरित की गई ओ.एम.आर.शीट के निर्धारित स्थान पर प्रथम आधे घंटे में अपने केन्द्र की सील लगवायें। (कृपया उपयोग में न लाई गई ओ.एम.आर.शीट पर सील न लगायें) रबर सील का नमूना निम्नानुसार है :-

केन्द्र अधीक्षक  
सुपर 100 प्रवेश परीक्षा 2024  
केन्द्र क्र.-----

- (3) इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उत्तरशीट गिनते, रखते या वितरित करते समय यह न तो मुझे न मैली हों, न गीली हों, न ही इसके किनारों को कोई बुक्सान पहुंचे अन्यथा ओ.एम.आर.मशीन इसे ठीक से नहीं पढ़ेगी। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थियों की सीटें व डेस्क, नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अच्छी तरह पौछ ली गई हैं।
- (7) प्रश्न पुस्तिका के प्रत्येक पैकेट के ऊपर सीरीज क्रमांक, प्रश्न-पत्र का विषय, इसके अंदर कितने प्रश्न पत्र हैं, मुद्रित हैं। पैकेट खोलने के पूर्व :-
- (i) प्रेक्षक एवं केन्द्र अधीक्षक, प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट पर पड़ी सील की जांच सावधानीपूर्वक करें।
  - (ii) पैकेट्स के ऊपर वीक्षकों, प्रेक्षक एवं केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर लिए जाएं।
- यदि केन्द्र अधीक्षक यह पाता है कि उसके केन्द्र से बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या से उपलब्ध प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या कम हो तो वे सबसे पास के केन्द्र अधीक्षक से आवश्यकतानुसार प्रश्न पुस्तिकाएं प्राप्त कर लें, और जिन परीक्षार्थियों का समय बच दुआ हो उसे अतिरिक्त समय देवें, परन्तु इस अतिरिक्त समय में इन विद्यार्थियों पर वीक्षक और केन्द्र अधीक्षक विशेष निगरानी रखें।
- (8) (i) परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के अंदर उपयोग में न लाई गई प्रश्न पुस्तिकाएं प्रत्येक परीक्षा कक्ष से वापस बुलवा ली जाएं तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में इन्हें कंट्रोल रूम में बची प्रश्न पुस्तिकाएं न खोले गए के साथ पैक करके सील कर दी जाएं।
- (ii) केन्द्र अधीक्षक प्रत्येक शिफ्ट में इस बात पर निगरानी रखेंगे कि प्रारंभ में ओ.एम.आर.शीटों पर दो वीक्षकों में से केवल वीक्षक प्रथम ने उसके जिम्मे आने वाले परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर.शीटों में किए गए इन्ड्राज की जांच करने के उपरांत उत्तरशीट पर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। (न कि दोनों वीक्षकों ने)
- (iii) द्वितीय वीक्षक को ओ.एम.आर.शीट में निर्धारित स्थान पर परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् पुनः इन्ड्राज की जांच कर हस्ताक्षर करना है। प्रायः द्वितीय वीक्षक परीक्षा समाप्ति के पूर्व ही ओ.एम.आर. शीट पर हस्ताक्षर करे देते हैं और इस तरह वे अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाते हैं अतः केन्द्र

अधीक्षक इस बात की ओर वीक्षक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करें तथा उन्हें इसे गंभीरता से लेने के निर्देश दें। यह निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(9) परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के अंदर प्रत्येक परीक्षा कक्ष से निम्नलिखित सामग्री एकत्रित कर लें :-

(i) रासा (RASA)

(ii) प्रत्येक कक्ष से अनुपस्थिति पत्रक (ABSENTEE STATEMENT)

(10) किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(11) परीक्षा हाँल में संचार उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, पेजर, कैल्कुलेटर ले जाना प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केन्द्र पर नकल या अन्य अन्केयर मीन्स का उपयोग न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। नियम पुस्तिका व विनियम में उल्लेखित ठीप अनुसार अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर कार्यवाही :-

(i) यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष में कोई अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो वीक्षक तुरंत उस परीक्षार्थी के पास पाए जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री एवं प्रश्न पुस्तिका एवं ओ.एम.आर.शीट को अपने अधिकार में ले लेंगे एवं तुरंत इसकी सूचना केन्द्र अधीक्षक एवं प्रेक्षक को देंगे। परीक्षार्थी के ऐसे प्रकरणों के लिए निर्धारित प्रारूप भरने के लिए निर्देशित करें। आपत्तिजनक सामग्री पर वीक्षक भी अपने हस्ताक्षर, दिनांक, समय लिखते हुए करें।

(ii) अनुचित साधन के प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की ओ.एम.आर.शीट मय आपत्तिजनक सामग्री के एक अलग लिफाफे में सीलकर भेजें। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट हो “अनुचित साधन प्रयोग प्रकरण, परीक्षार्थी का नाम परीक्षा केन्द्र, परीक्षा शहर, विषय, दिनांक” ऐसे प्रकरण की सूचना उसी दिन भेजना होगा।

(12) परीक्षा उपरांत सामग्री लौटाते समय नीचे लिखे अनुसार सामग्री को व्यवस्थित किया जाये।

वीक्षकगण से परीक्षा कक्ष से निम्नलिखित दस्तावेजों को भरकर प्राप्त करें :-

(i) कक्षवार वीक्षक की रिपोर्ट। इस पर वीक्षक का पूरा नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ii) सिंटिंग प्लान, जिसमें परीक्षार्थी का रोल नं. प्रश्न पुस्तिका के सेट अक्षर सहित दिया गया है। इस पर भी वीक्षकों के पूरे नाम, पदनाम, संस्था जहां कार्यरत है एवं हस्ताक्षर होना चाहिए।

(iii) रासा।

(iv) वीक्षक से प्राप्त ओ.एम.आर.शीट, क्रम से जमा कर रखें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक ओ.एम.आर.शीट पर परीक्षार्थी एवं दोनों वीक्षकों ने हस्ताक्षर किये हैं। अनुपस्थित परीक्षार्थी की ओ.एम.आर.शीट पर अनुपस्थित के स्थान पर गोला काला करते हुए वीक्षक पूर्ति कर हस्ताक्षर करेंगे।

(v) केन्द्र पर दर्ज समस्त परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर.शीट, क्रम से जमाकर 200-200 के पैकेट बनाएँगे, ऊपर नीचे गते का टुकड़ा रखकर, ब्राउन पेपर का पैकेट बनाकर, सावधानीपूर्वक पैक कर, उस पर केन्द्र अधीक्षक एवं प्रेक्षक को सील लगाना है। विशेष ध्यान रखें कि गतों की साइज, ओ.एम.आर.शीट की साइज से बड़ी हो। इसके साथ निम्न सामग्री परीक्षा समाप्ति के पश्चात् परिवहनकर्ता को जमा करायें एवं उनसे पावती प्राप्त करें।

पर्सनलाइज्ड ओ.एम.आर.शीट

शेष बची हुई अतिरिक्त ओ.एम.आर.शीट (नॉन पर्सनलाइज्ड)

रासा

चेकलिस्ट

शेष बची हुई प्रश्न पुस्तिका

समस्त रिपोर्ट्स

01 वीक्षक की रिपोर्ट

02 प्रेक्षक रिपोर्ट

03 केन्द्राध्यक्ष रिपोर्ट

# म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल

( सुपर - 100 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2024)

शिवाजी नगर, भोपाल - 462011

## वीक्षकों हेतु निर्देश (Instruction for Invigilators)

- (1) परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार वीक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। नियुक्त किये गये वीक्षक संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के निर्देशानुसार पर्यवेक्षण (Invigilators) कार्य सम्पादित करेंगे।
- (2) वीक्षक यह शपथ पत्र देगा कि उसका कोई निकट संबंधी (पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा पति/पत्नि के भाई, बहन) परीक्षा केन्द्र में नहीं बैठ रहे हैं।
- (3) दिनांक 07.07.2024 को परीक्षा दो पाली में सम्पन्न होगी। प्रथम पाली प्रातः 10:30 बजे से 1:00 बजे तक होगी। द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से 5:00 बजे तक रहेगी।
- (4) दिनांक 08.07.2024 को परीक्षा एक पाली में होगी। परीक्षा का समय प्रातः 10:30 से 1:00 बजे तक रहेगा।
- (5) वीक्षक को परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक कार्यालय में परीक्षा आरंभ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व पहुंच जाना है और परीक्षा समाप्ति उपरांत कार्यवाही पूर्ण होने पर केन्द्र छोड़ना है।
- (6) वीक्षक प्रश्न-पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर.शीट्स के बंडल को गिनकर यह सुनिश्चित करें कि उसे दी जाने वाली सामग्री उतनी है जितनी उसे परीक्षा कक्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में अंकित की गई है। सामग्री पूरी तरह से गिनकर एवं आश्वस्त होकर वीक्षक ओ.एम.आर.उत्तर-शीट्स एवं अपने परीक्षा कक्ष से संबंधित फोल्डर को लेकर ही परीक्षा कक्ष की ओर जायेंगे। वीक्षक को परीक्षा आरंभ होने के 15 मिनिट पूर्व परीक्षा कक्ष में पहुंच जाना है।
- (7) छात्रों को अन्दर प्रवेश हेतु अनुमति देने के पूर्व वीक्षक छात्रों की जांच कर प्रवेश पत्र से उसका फोटो मिलावें, सही पाये जाने पर ही उन्हें ओ.एम.आर.शीट्स और प्रश्न पत्र वितरित करें।

यह सुनिश्चित करें कि:-

- (7.1) प्रथम पाली के परीक्षार्थी अपनी-अपनी सीट पर परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम आधा घंटा पूर्व अर्थात् समय प्रातः 10:00 बजे निर्धारित कक्ष में बैठ जाये। एवं द्वितीय पाली के परीक्षार्थी समय दोपहर 2:00 बजे निर्धारित कक्ष में बैठ जाये सभी समूह की परीक्षा में प्रथम 5 मिनिट में वीक्षक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी के फोटो की जांच करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बगैर फोटो वाले प्रवेश पत्र लिए परीक्षार्थी को परीक्षा में न बैठने देवें।
  - (7.2) उक्त के पश्चात् ओ.एम.आर. शीट में परीक्षार्थी द्वारा आवश्यक जानकारी की पूर्ति काले बाल पेन (लीड) से कर, गोलों को काला किया जाना है।
  - (7.3) इसके पश्चात् वीक्षक परीक्षार्थीयों को प्रश्न पुस्तिकाएं वितरित करेंगे।  
इसके पश्चात् प्रश्न पुस्तिकाओं को खोलकर निम्नलिखित जांच करेंगे :—
- (1) प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर जितने प्रश्नों की संख्या छपी है उतने ही प्रश्न अंदर भी हैं।
  - (2) प्रश्न पुस्तिकाओं के सभी पृष्ठों में छपाई स्पष्ट है, कोई पन्ना फटा हुआ नहीं है या कोई पन्ना बाइंड ही नहीं किया हो या, कोई पृष्ठ दो बार बाइंड हो गया है इत्यादि।

वीक्षक को परीक्षार्थी को स्पष्ट करना है कि वे अपनी-अपनी प्रश्न पुस्तिकाओं की उपरोक्तानुसार अच्छी तरह जांच कर ले एवं त्रुटि पाये जाने पर सही प्रश्न पुस्तिका से बदल ले अन्यथा उसके बाद ना तो कोई प्रश्न पुस्तिका बदली जावेगी न ही इसके लिए कोई अतिरिक्त समय दिया जावेगा यह जिम्मेदारी परीक्षार्थी की ही होगीं वीक्षक स्पष्ट करेंगे कि प्रश्न पत्र 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इनके उत्तर उपलब्ध कराई गई ओ.एम.आर.शीट में गोले भरकर दिए जाने हैं।

- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर हेतु 1 अंक निर्धारित है।
- परीक्षा समयावधि ढाई घंटे (150 मिनिट) रहेगी।
- परीक्षार्थी, रफ कार्य के अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। वे प्रश्नपत्र या ओ.एम.आर.शीट पर कहीं भी अपना नाम नहीं लिखेंगे। परीक्षार्थी द्वारा रफ कार्य हेतु प्रश्नपत्र के अंत में छोड़े गए सादे पृष्ठ का उपयोग किया जा सकता है।
- परीक्षार्थी परीक्षा के पश्चात् अपने द्वारा भरी ओ.एम.आर.शीट पर्यवेक्षक के पास वापस जमा करेंगे। तथा परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अपने साथ ले जा सकेंगे।

(5) परीक्षार्थी को आवंटित की जाने वाली ओ.एम.आर.शीट पर उसका रोल नम्बर, फोटो आदि जानकारी अंकित की गयी है। अतः यह सुनिश्चित करें कि जो ओ.एम.आर.शीट जिस परीक्षार्थी की है उसे ही आवंटित की जावे। यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित है तो आधे घंटे पश्चात् अनुपस्थित परीक्षार्थी की ओ.एम.आर.शीट में वीक्षक अनुपस्थित वाला गोला काला कर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

- (1) परीक्षा के दौरान उपस्थित समस्त परीक्षार्थियों द्वारा की गयी पूर्ति की जांच के साथ रासा (उपस्थिति पत्रक) में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाये जावें चूंकि 20 परीक्षार्थियों के लिए एक वीक्षक की व्यवस्था है अतः जिस वीक्षक द्वारा समस्त पूर्ति की जांच की गयी है उसे अन्य वीक्षक क्रॉस चैक कर ही ओ.एम.आर.शीट पर द्वितीय वीक्षक के लिए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- (2) अनुपस्थित परीक्षार्थी की ओ.एम.आर.शीट पर आवश्यक पूर्ति उपरांत वीक्षक हस्ताक्षर कर क्रम में रखें।
- (3) परीक्षा के उपरांत प्रत्येक ओ.एम.आर.शीट की जांच एवं निगरानी के पश्चात् क्रम से ओ.एम.आर.शीट जमा कर केन्द्र अधीक्षक को वापस लौटावे।

# म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

भोपाल - 462011

(सुपर-100 प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2024)

## उपस्थिति पत्रक

परीक्षार्थी का फोटो एवं नाम	अनुक्रमांक	प्रदाय प्रश्न-पत्र सेट	प्रश्न पुस्तिका क्रमांक	ओ.एम. आर.शीट्स क्रमांक	हस्ताक्षर नमूना	परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

# म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

शिवाजी नगर, भोपाल - 462011

(सुपर-100 प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2024)

## अनुचित साधन वाले प्रकरण (यू.एफ.एम.) UNFAIR MEAN (s) CASES (UFM)

परीक्षा केन्द्र की सील ..... शहर .....

परीक्षार्थी का नाम एवं पता ..... परीक्षा समय.....

जिस अनुचित साधन का उपयोग .....

करते हुए पाया गया

- (क) परीक्षार्थी के पास से प्राप्त नकल संबंधी सामग्रियों का था आपस की बातचीत का विस्तृत विवरण :— (इन सामग्रियों पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिये जाये तथा उन पर वीक्षक, केन्द्र अधीक्षक एवं प्रेक्षक प्रति हस्ताक्षर करें)
- (ख) यदि परीक्षार्थी किसी परीक्षार्थी से संपर्क (Communicate) कर रहा था, तो
- (1) वह किससे पूछ रहा था? नाम ..... रोल नं.....
  - (2) पूछने पर क्या दूसरे परीक्षार्थी ने बताया?  
जो लागू हो उसके नीचे टिक करें

हाँ

नहीं

### परीक्षार्थी के स्वयं की लिखावट में कथन :—

- (क) (1) क्या उपरोक्त सामग्रियां आपसे जब्त की गई? .....
- (2) इन्हें आपने पास क्यों रखा था? .....
- (3) क्या इनमें से किसी का उपयोग आपने किया?

परीक्षार्थी के स्वयं का व्यान .....

(ख) आपने ..... (नाम) से क्यों पूछा? .....

/ आपने क्यों बताया ..... आपको और कुछ कहना है?.....

दिनांक ..... समय ..... परीक्षार्थी के हस्ताक्षर .....

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी द्वारा उपरोक्त कथन मेरी उपस्थिति में लिया गया है/परीक्षार्थी ने कोई कथन देने से इंकार किया (जो लागू न हो उसे काट दें)

वीक्षक के हस्ताक्षर

1 ..... 1 .....

2 ..... 2 .....

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक ..... समय .....

**म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड**  
**शिवाजी नगर, भोपाल - 462011**  
**( सुपर - 100 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2024)**  
**केन्द्राध्यक्ष की रिपोर्ट**

परीक्षा केन्द्र का नाम .....

- (1) रासा में अंकित रोल नं. .... से ..... तक कुल संख्या.....
- (2) प्राप्त ओ.एम.आर. शीट्स .....
- (3) उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या ..... परीक्षार्थियों से प्राप्त ओ.एम.आर. शीट्स संख्या.....
- (4) अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या ..... वीक्षक द्वारा भरी (अनुपस्थित) ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या.....
- (5) यू.एफ.एम. प्रकरण एवं अनुक्रमांक.....

रोल नं. से रोल नं. तक	कुल ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या	अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक
प्राप्त ओ.एम.आर.शीट्स का योग -		

प्रेक्षक के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम एवं संस्था

नोट : 1. अनुपस्थित परीक्षार्थियों को आवंटित ओ.एम.आर. शीट्स के निर्धारित गोले को वीक्षक काला कर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उपस्थित परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर. शीट के साथ निर्धारित क्रम में रखेंगे।

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम एवं संस्था

2. अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर उनके अनुक्रमांक पृष्ठ भाग पर अंकित किए जावें।

# म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

शिवाजी नगर, भोपाल - 462011

(सुपर-100 प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2024)

केन्द्र अधीक्षक रिपोर्ट (प्रश्न पुस्तिकाओं व उत्तरशीट्स लेखा)

परीक्षा केन्द्र का नाम ..... केन्द्राध्यक्ष का नाम एवं मो.नं. ....

प्रेक्षक का नाम एवं मो.नं. ..... परीक्षा समय ..... से ..... तक

केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या .....

भाग -एक

विषय एवं समय	कुल प्राप्त प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या i	उपयोग की गई प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या (रद्द प्रश्न पुस्तिकाएं छोड़कर) ii	उपयोग न की गई प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या (रद्द iii	रिमार्क (यदि कोई हो तो) रद्द की गई प्रश्न पुस्तिकाएं iv	हस्ताक्षर प्रेक्षक एवं केन्द्र अधीक्षक
सुपर 100					
प्रवेश परीक्षा					
2024					

भाग-दो उत्तरशीट्स का लेखा

प्रदत्त ओ.एम.आर. शीट्स की कुल संख्या	परीक्षार्थी द्वारा उपयोग की गई ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या	रद्द की गई कुल ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या	परीक्षार्थी के नाम रहित अतिरिक्त प्रदाय ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या	लौटाई गई कोरी .एम.आर. शीट्स की संख्या

कुल जमा की गई (परीक्षार्थियों अनुपस्थित परीक्षार्थियों (वीक्षक द्वारा भरी) ओ.एम.आर.शीट्स की संख्या .....

(1) हस्ताक्षर प्रेक्षक

नाम व पदनाम

(2) केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

# म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

भोपाल - 462011

(सुपर-100 प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2024)

केन्द्र की सील ..... परीक्षा शहर .....

## वीक्षक की रिपोर्ट (Report of Invigilator)

परीक्षा केन्द्र का नाम ..... परीक्षा की तिथि ..... परीक्षा का समय .....

(क) कुल दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या ..... (ख) अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या .....

(ग) उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या .....

अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर (यदि लिखने में त्रुटि हो जाये तो एक आँड़ी रेखा से काटकर ऊपर पुनः स्पष्ट

लिखें, ओवर राइटिंग न करें।)


(इ) अनुचित साधन का उपयोग करते पकड़े गये परीक्षार्थियों के रोल नंबर कुल संख्या .....


(च) उत्तरशीटों एवं प्रश्न-पुस्तिकाओं का लेखा

समग्री	केन्द्र अधीक्षक द्वारा दी गई संख्या	परीक्षार्थियों द्वारा उपयोग में लाई गई संख्या (UFM) सहित	केन्द्र अधीक्षक को परीक्षा प्रारंभ होने 1/2 घंटे के अंदर लौटाई गई संख्या (रद्द की गई उत्तरशीट्स) एवं खराब पाई गई प्रश्न-पुस्तिकाओं सहित
उत्तरशीट्स			
प्रश्न-पुस्तिकाएं			

क्र.	वीक्षक का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2			
3			